

**कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर (राज.)।**

क्रमांक: २२३/२०२३/५३६

दिनांक- ०४-८-२३

**संशोधित कार्यालय आदेश**

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक ४९५ दिनांक २१.०७.२०२३ से माह अगस्त, २०२३ में अवकाशों के दिन सीकर जिले की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात में जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालिन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य की सुनवाई हेतु न्यायिक अधिकारीगण की ज्यूटी लगायी गई थी, परन्तु प्रशासनिक कारणों से पूर्व आदेश क्रमांक ४९५ दिनांक २१.०७.२०२३ में आंशिक संशोधन करते हुये निम्न अधिकारीगण की निम्न प्रकार से ज्यूटी लगाई जाती है:-


क्र.सं.	अवकाश की दिनांक	न्यायिक अधिकारी सर्व श्री/ श्रीमती /सुश्री	न्यायालय का नाम
१	२	३	४
१.	०६.०८.२०२३	सुश्री सीमा चौहान	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-१, सीकर
२.	१५.०८.२०२३	श्री हिमांशु कुमावत	न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर

**शेष रिमाण्ड ज्यूटी के संबंध में कार्यालय आदेश संख्या ४९५ दिनांक २१.०७.२०२३**

**प्रभावी रहेगा।**

**नोट:-**

१. उक्त रिमाण्ड ज्यूटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि के पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात् से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी तथा इस अवधि में राज्य अथवा राज्य के बाहर से सीकर पधारने वाले माननीय न्यायाधिपतिगण के सीकर प्रवास पर उनके आगमन, प्रवास एवं प्रस्थान के दौरान उनके पद एवं गरिमा के अनुरूप एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक ०६/पी.आई./२००८ दिनांक २९.०७.२००८ के निर्देशानुसार प्रोटोकॉल ज्यूटी उक्त अधिकारीगण करेंगे।
२. रिमाण्ड ज्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पोक्सो कोर्ट से संबंधित पेश की जाने वाली एफ.आई.आर. को संबंधित पोक्सो कोर्ट (पोक्सो कोर्ट क्रम-१ या पोक्सो कोर्ट क्रम-२) को ही भेजी जाना सुनिश्चित करें।

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
सीकर (राज.)

दिनांक- ०४-८-२०२३

क्रमांक- २२३/२०२३/५३७-५४७

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- १- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, सीकर
- २- श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
- ३- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, सीकर
- ४- अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-०१, सीकर, रिंगस, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, दांतारामगढ़, क्रम संख्या-१ व २ नीमकाथाना, क्रम संख्या-१ व २ श्रीमाधोपुर
- ५- न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर/क्रम-१ व २ सीकर/विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (NIACT) प्रकरण सीकर/नीमकाथाना/श्रीमाधोपुर/लक्ष्मणगढ़/खण्डेला/फतेहपुर
- ६- अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना/श्रीमाधोपुर
- ७- कार्यालय, सहायक निदेशक अभियोजन, सीकर
- ८- अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, सीकर/नीमकाथाना/श्रीमाधोपुर/फतेहपुर/लक्ष्मणगढ़/दांतारामगढ़/रिंगस/धोद/खण्डेला
- ९- सिस्टम ऑफिसर, ई-कोर्ट प्रोजेक्ट, सर्वर बेसमेंट, न्यायालय की वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
- १०- इंचार्ज, पुलिस कंट्रोल रूम, सीकर
- ११- आदेश/संबंधित पंजिका

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

सीकर (राज.)  
सीकर (राज.)